न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 05/24 दायरा दिनांक 07.05.2024

1–मंगल पुत्र श्रीलाल उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–भवानी पुत्र श्रीलाल उम्र 50 वर्ष जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान वादीगण

बनाम

धर्मेन्द्र पुत्र रामचरण जाति सहरिया निवासी बैंटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

<u>निर्णय–दिनांक 14.07.2025</u>

उपस्थित

वादीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बेंटा पटवार क्षेत्र बैंटा तहसील शाहाबाद में वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा किस्म बा.च. स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिस पर वादीगण निरन्तर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण की उक्त विवादित आराजी वर्तमान में आबादी वसावट के निकट आ गई है। प्रतिवादी सहरिया अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हैं, जो झगडालु तथा लडाकू प्रवृति का हैं। दिनांक 15.04.2024 को प्रतिवादी उक्त विवादित भूमि में घुस आया और नींव खुदवाने लगा पता लगते ही वादीगण मौके पर पहुंचे और प्रतिवादी को वमुश्किल रोका तब तक प्रतिवादी ने मकान बनाने के लिये नींव खुदवा दी। दिनांक 28.04.2024 को प्रतिवादी ने वादीगण के खाते की उक्त विवादित आराजी पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बडी मुश्किल से वादीगण ने पुलिस थाना शाहावाद में रिपोर्ट कर प्रतिवादी को निर्माण करने से रोका है। प्रतिवादी ने वादीगण को धमकी दी है कि यदि वादीगण ने उन्हे निर्माण करने से रोका तो वह वादीगण को धारा 3 एसटी एससी के झूंठे मुकदमें में रिपोर्ट कर बंद करा देगा और वादीगण के खाते की उक्त भूमि पर मकान निर्माण करके रहेगा। विवादित आराजी वादीगण के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण अथवा कब्जा करने का प्रतिवादी को कोई वैधानिक हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी की उक्त धमकी व कृत्य से वादीगण के खाते तथा कब्जेकाश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है यदि प्रतिवादी वादीगण के खाते [illegible] किसी भी प्रकार का कोई कब्जा अथवा निर्माण करने में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा। इस कारण वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इस हेतु वाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी की ओर से दावे का कोई जबाव पेश नहीं किया गया और दिनांक 17.06.2025 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस किया गया।

14.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बेंटा प्रदर्श 1 अनुसार वादीगण विवादित आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा के रिकार्डेड खातेदार होना प्रमाणित हैं। प्रदर्श 2 नक्शा अनुसार विवादित आराजी का नक्शे में स्पष्ट अंकन है। रिपोर्ट पटवार मण्डल बेंटा प्रदर्श 4 से प्रमाणित है कि विवादित आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा ग्राम बेंटा पर प्रतिवादी द्वारा पी एम जनमन योजना आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी न्यायासंगत नहीं है। विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी की है, जिस पर प्रतिवादी को निर्माण अथवा कब्जा करने का कोई विधिक हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी की आराजी ख.नं. 133 रकबा 8.02 बीघा ग्राम बेंटा तहसील शाहावाद के किसी भी भाग पर प्रतिवादी कोई निर्माण कब्जा अथवा दखलंदाजी नहीं करेगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को लिखा जावे। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:14 IST
Reason: SelfAttested